356

पावरग्रिड मिथलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Ltd.)

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,
बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कोलोनी,
टी. आर. डब्लू सेंटर के नजदीक, पोस्ट+थाना-शास्त्रीनगर

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी , पटना-800023

स्पीड-पोस्ट

संदर्भ: RTI/FAA/Order/889(ए) दिनांक:04.10.2021

अपीलकर्ता: **श्री केशव कुमार,ग्राम+पोस्ट- रतनपुर ,जिला- दरभंगा -847307 (बिहार)**

प्रतिवादी:-**केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (पी.एम.टी.एल.),पटना**

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:**श्री ए.के.मैती,कार्यपालक निदेशक सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,पावर ग्रिड पटना-800023.**

शिकायत /अपील से प्राप्त हुए तथ्य:

क्रम सं	प्रथम सूचना आवेदन का संदर्भ की तिथि एवं	आवेदन का उत्तर की तिथि एवं संदर्भ	प्रथम अपील के आवेदन की तिथि	अपील की सुनवायी के लिए सूचना दिये जाने की तिथि	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय मे सुनवाई की तिथि:
1	PGCIL/R/E/21/00266 02.07.2021	PCIL/PMTL/RTI/2020-21/35/433 dt 29.07.2021	PGCIL/A/E/21/00035 06.09.2021	30.09.2021	**04.10.2021** at **05.00 PM** through online mode
2	PGCIL/R/E/21/00267 02.07.2021	PCIL/PMTL/RTI/2020-21/35/433 dt 29.07.2021	PGCIL/A/E/21/00034		
3	PGCIL/R/E/21/00269 02.07.2021	PCIL/PMTL/RTI/2020-21/38/429 dt 29.07.2021	PGCIL/A/E/21/00036		
4	PGCIL/R/E/21/00270 02.07.2021	PCIL/PMTL/RTI/2020-21/36/431 dt 29.07.2021	PGCIL/A/E/21/00038		
5	PGCIL/R/E/21/00271 02.07.2021	PCIL/PMTL/RTI/2020-21/37/432 dt 29.07.2021	PGCIL/A/E/21/00037		
6	PGCIL/R/E/21/00273 03.07.2021	PCIL/PMTL/RTI/2020-21/39/430 dt 29.07.2021	PGCIL/A/E/21/00039		

आदेश

(04.10.2021)

1. अपीलकर्ता द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु उपरोक्त आवेदनो को दिये गये विवरण के अनुसार जिसका जवाब पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पी.एम.टी.एल.) पटना, के द्वारा अग्रसारित किया जा चुका है। दिनांक-06.09.2021 को उत्तर से संतुष्ट नहीं होने के कारण आवेदनकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन उपरोक्त दिये गये अपील विवरण के अनुसार किया है । प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पावरग्रिड, पू.क्षे.1, पटना के समक्ष अपील की सुनवाई आनलाइन के माध्यम से किये जाने की सूचना अपीलकर्ता को पत्र संदर्भ संख्या- RTI/FAA/Hearing/1528 दिनांक: 30.09.2021 को दिया गया । **प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की तिथि और समय दिनांक-04.10.2021, सांय 05:00 बजे निर्धारित किया गया।**

1. <u>अपीलकर्त्ता का पक्ष</u>:

(I) अपीलकर्त्ता ने अपना पक्ष रखा कि उन्होंने अपने प्रथम सूचना आवेदन (छ: के संख्या में) संदर्भ संख्या: 00266, 00267,00269,00270,00271 एवं 00273 के माध्यम से उन्हे 400 के.वी. डी.सी सीतामढ़ी- दरभंगा पारेषण लाईन, 400 के.वी. डी.सी सीतामढ़ी-मोतीहारी पारेषण लाईन, 400 के.वी. डी.सी (क्वाड) नबीनगर– गया पारेषण लाईन का चंदौती में लीलो एवं 400 के.वी. डी.सी किशनगंज-पटना का सहरसा मे लीलो के निर्माण के दौरान हुए क्षतिपूर्ति से संबन्धित जानकारी मांगी थी ।

(II) अपीलकर्ता ने उपरोक्त पारेषण लाइनों के निर्माण के दौरान सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, आदि जिलों में प्रत्येक गाँव में कितनी भूमि फसल, फसल का किस्म कितने बांसो एवं वृक्षों की क्षति हुई उसकी सम्पूर्ण जानकारी मांगी थी ।

(III) अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि उसे क्षतिपूर्ति की जानकारी अलग–अलग चाहिए जैसे की प्रत्येक गाँव ,ब्लॉक, जिले आदि में कितनी क्षति हुई , कितनी क्षतिपूर्ति दिया गया है कितनी संख्या मे वृक्षों एवं बांसो को काटा गया सब जानकारी अलग-अलग चाहिए ।

(IV) अपीलकर्ता ने अपने आवेदन संदर्भ संख्या 00273 में यह भी कहना है की विधयुत अधिनियम-2003 के धारा 164 के अंतर्गत पी॰एम॰टी॰एल॰ को राजपत्र के माध्यम से जो शक्तियां प्राप्त हैं के बिना स्थानीय प्राधिकार (Local Authority) के अनुमति से वैध नही है / अपीलकर्ता ने यह भी जानकारी मांगी थी किस -किस स्थानीय निकाय से संबन्धित पारेषण लाइन की निर्माण की अनुमति ली गयी है, सबकी प्रति अपीलकर्ता ने मांग की है।

(V) अपीलकर्ता का कहना है कि जिस तरह वो सम्पूर्ण जानकारी अपने आवेदनों के माध्यम से मांगा था उन्हे नही दिया गया / पी.एम.टी.एल. द्वारा प्रदान की गयी जानकारी पूर्ण नहीं है तथा सत्य नहीं है ।

2. <u>केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (पी.एम.टी.एल.) का पक्ष:</u>

(I) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (पी.एम.टी.एल.) का पक्ष है कि अपीलकर्त्ता का सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन स्पष्ट नहीं है ।

(II) अपीलकर्त्ता द्वारा मांगी गयी उपलब्ध सम्पूर्ण जानकारी जो की पारेषण लाईनो के निर्माण के दौरान हुई क्षतिपूर्ति के सम्पूर्ण राशि, वृक्षों की संख्या, बासों की संख्या अलग अलग प्रत्येक लाइन का प्रदान किया जा चुका है । फसलों, बांसो एवं वृक्षों के सरकारी रेट की प्रति भी अलग अलग अपीलकर्ता को दिया जा चुका है ।

(III) अपीलकर्ता जिस फ़ारमैट में और जिस रूप में जानकारी मांग रहे हैं उस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं हैं ।

(IV) अपीलकर्ता को जानकारी दी गयी है कि पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान यदि स्थानीय प्राधिकार से संबन्धित जमीन पड़ती है तभी स्थानीय प्राधिकार से अनुमति की आवश्यकता है । इससे संबन्धित धारा 10 (c) भारतीय तार अधिनियम 1885 के प्रावधान के सूचना भी अपीलकर्ता को दी जा चूकी है।

राके पाठक

अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी दोनो पक्ष आनलाइन के माध्यम से प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष मौखिक और दस्तावेजो के माध्यम से रखा। दोनों पक्षो को सुनने एवं सम्बंधित दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात निम्नलिखित निर्णय पारित किया जाता है :-

निर्णय

1. दोनो पक्षों को सुनने एवं सभी दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (पी.एम.टी.एल.)को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के आवेदन संख्या :PGCIL/ R/E/ 21/00273 के आलोक में 400 के. वी. दरभंगा – सीतामढ़ी पारेषण लाईन के निर्माण के संबन्धित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य प्राधिकरणों जहां से अनुमति ली गयी उस सबकी प्रति अपीलकर्ता को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाय ।
2. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (पी.एम.टी.एल.) के द्वारा अपीलकर्ता को जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है । अपीलकर्ता के लिए नयी जानकारियों का एकत्रीकरण, सृजन नहीं किया जा सकता है और न ही किसी विशेष फ़ारमैट मे जानकारी देने का कोई प्रावधान है ।
3. **उपरोक्त साक्ष्यों के आलोक में सभी छः (06) अपीलों का निपटारा तदनुसार दिनांक-04.10.2021 को किया गया।**

(ए.के.मैती)
कार्यपालक निदेशक
सह-प्रथम अपीलीयप्राधिकारी

वितरण:-

1. **श्री केशव कुमार,ग्राम+पोस्ट- रतनपुर ,जिला- दरभंगा -847307 (बिहार))**
2. **श्री एम.क्यु हुदा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पी.एम.टी.एल.) सह-केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड,पू.क्षे.1,पटना-800023.**

सूचनार्थ :-

1. वरि. महाप्रबंधक (सतर्कता),पावरग्रिड, पू. क्षे. 1, पटना-800023